

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या-2/पी05-207/08गृ0आ0...../ श्री प्राणतोष कुमार दास, अपर पुलिस अधीक्षक (मूल वरीयता, क्रमांक-8/14) को माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर वाद सं0-सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-20090/10 में दिनांक 12.08.12 को पारित न्यायादेश एवं इसके विरुद्ध विभाग द्वारा दायर एल0पी0ए0 सं0-667/2014 में दिनांक 19.01.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्टाफ ऑफिसर के पद पर वेतनमान् पी0बी0-4, ग्रेड वेतन रु0 8700/- में, इनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि, दिनांक 10.06.14 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 (सी) सं0-29770/15 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञांपाक-2/पी05-207/08 गृ0आ0...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 10.05.16

ज्ञांपाक-2/पी05-207/08गृ0आ0...../ 3639

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग/श्री प्राणतोष कुमार दास, पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रशाखा-1 से अनुरोध है कि अवमाननावाद सं0-2219/14, प्राणतोष कुमार दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव